

प्रेस नोट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर दिनांक 16.02.2025

कूटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन बैनामा कराने के आरोप में 03 नफर वांछित
अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष पिपराईच के नेतृत्व में व030नि0 अजीत कुमार चतुर्वेदी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 131/2024 धारा 419,420,467,468,471,120B भादवि0 से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. सुरेश मद्देशिया 2. दीनानाथ मद्देशिया व 3. पिंटू यादव को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी कर वादी मुकदमा की पैतृक जमीन बैनामा करा लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. सुरेश मद्देशिया पुत्र स्व0 गफ्फा निवासी ग्राम विशुनपुर ठूठी चौराहा वार्ड न0 10 गांधी नगर सुकरौली थाना हाटा जनपद कुशीनगर
2. दीनानाथ मद्देशिया पुत्र सुरेश मद्देशिया निवासी ग्राम विशुनपुर ठूठी चौराहा वार्ड न0 10 गांधी नगर सुकरौली थाना हाटा जनपद कुशीनगर
3. पिंटू यादव पुत्र रामजी यादव निवासी मुंडेरी गढ़वा थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 131/2024 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. व030नि0 अजीत कुमार चतुर्वेदी थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 आशुतोष सिंह थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
3. आरक्षी मुरारी यादव थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
4. आरक्षी सुजीत सिंह थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

